

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिले) में क्लस्टर फन्ट लाईन प्रदर्शन बाजरा पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30–07–2022) तक कर सकते हैं।

क्लस्टर फन्ट लाईन प्रदर्शन बाजरा पर रु0 2400 / एकड़ सामान्य वर्ष / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial targets of Cluster Front line Demonstration on Bajra for the year 2022-23 (Assistance @ Rs. 2400/- per acre.)						
Sr. No.	Name of Districts	Total		General		SC
		Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre)
1	Bhiwani	3200	76.80	2560	61.44	640
2	Gurugram	1700	40.80	1360	32.64	340
3	Hisar	3000	72.00	2400	57.60	600
4	Jhajjar	2400	57.60	1920	46.08	480
5	Jind	2400	57.60	1920	46.08	480
6	M.Garh	4175	100.20	3340	80.16	835
7	Rewari	3650	87.60	2920	70.08	730
8	Mewat	2250	54.00	1800	43.20	450
9	Rohtak	3000	72.00	2400	57.60	600
10	C.Dadri	1600	38.40	1280	30.72	320
Total		27375	657.00	21900	525.60	5475
						131.40

विशेष दिशा निर्देश—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिले) में बाजरा का बीज वितरण में संकर बाजरा बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30-07-2022) तक कर सकते हैं।

बाजरा का बीज वितरण में संकर बाजरा बीज व अधिक उपज देने वाली किस्मों पर रु0 10000 / किंवंत्ल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target distribution of Hybrid Seed of Bajra nutritive varitey for the year 2022-23 (Assistance @ Rs. 10000 per Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	400	40.00	320	32.00	80	8.00
2	C.Dadri	215	21.50	172	17.20	43	4.30
3	Gurgaon	175	17.50	140	14.00	35	3.50
4	Hisar	400	40.00	320	32.00	80	8.00
5	Jhajjar	300	30.00	240	24.00	60	6.00
6	Jind	115	11.50	92	9.20	23	2.30
7	M.Garh	500	50.00	400	40.00	100	10.00
8	Rewari	500	50.00	400	40.00	100	10.00
9	Mewat	315	31.50	252	25.20	63	6.30
10	Rohtak	280	28.00	224	22.40	56	5.60
Total		3200	320.00	2560	256.00	640	64.00

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिले) में बाजरा का बीज वितरण पर संकर बाजरा में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30–07–2022) तक कर सकते हैं।

बाजरा का बीज वितरण में संकर बाजरा में 10 वर्ष से कम की किस्मों पर ₹ 3000 / विंटल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target distribution of seed of hybrid, high yielding varieties less than 10 year of Bajra are as under for the year 2022-23(Rs. 3000 per Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	250	7.50	200	6.00	50	1.50
2	Gurgaon	70	2.10	56	1.68	14	0.42
3	Hisar	100	3.00	80	2.40	20	0.60
4	Jhajjar	80	2.40	64	1.92	16	0.48
5	Jind	70	2.10	56	1.68	14	0.42
6	M.Garh	250	7.50	200	6.00	50	1.50
7	Rewari	250	7.50	200	6.00	50	1.50
8	Mewat	80	2.40	64	1.92	16	0.48
9	Rohtak	70	2.10	56	1.68	14	0.42
10	C.Dadri	100	3.00	80	2.40	20	0.60
Total		1320	39.60	1056	31.68	264	7.92

विशेष दिशा निर्देश:—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन – पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीद, महेन्द्रगढ़, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिले) में बाजरा का बीज वितरण पर संकर बाजरा में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30–07–2022) तक कर सकते हैं।

बाजरा का बीज वितरण में संकर बाजरा में 10 वर्ष से अधिक की किस्मों पर रु0 1500 / विंटल सामान्य वर्ष / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target distribution of seed of hybrid, high yielding varieties More than 10 year of Bajra are as under for the year 2022-23 (Rs. 1500 per Qtl)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	130	1.95	104	1.56	26	0.39
2	Gurgaon	70	1.05	56	0.84	14	0.21
3	Hisar	70	1.05	56	0.84	14	0.21
4	Jhajjar	80	1.20	64	0.96	16	0.24
5	Jind	80	1.20	64	0.96	16	0.24
6	M.Garh	135	2.03	108	1.62	27	0.41
7	Rewari	130	1.95	104	1.56	26	0.39
8	Mewat	75	1.13	60	0.90	15	0.23
9	Rohtak	80	1.20	64	0.96	16	0.24
10	C.Dadri	80	1.20	64	0.96	16	0.24
Total		930	13.95	744	11.16	186	2.79

विशेष दिशा निर्देश:—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन–सुक्ष्म तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाईयों कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2022) कर सकते हैं।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन–सुक्ष्म तत्व पर ₹ 200 / एकड़ सामान्य वर्ष / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target Integrated Micronutrient Management for the year 2022-23. (Assistance @ Rs. 200 per acre)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	4300	8.60	3440	6.9	860	1.72
2	Gurgaon	2500	5.00	2000	4.0	500	1.00
3	Hisar	2500	5.00	2000	4.0	500	1.00
4	Jhajjar	2500	5.00	2000	4.0	500	1.00
5	Jind	2500	5.00	2000	4.0	500	1.00
6	M.Garh	4700	9.40	3760	7.5	940	1.88
7	Rewari	4500	9.00	3600	7.2	900	1.80
8	Mewat	2000	4.00	1600	3.2	400	0.80
9	Rohtak	2500	5.00	2000	4.0	500	1.00
10	C.Dadri	2000	4.00	1600	3.2	400	0.80
Total		30000	60.00	24000	48.0	6000	12.00

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन—जैव—उर्वरक पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाईयों कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10–10–2022) कर सकते हैं।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन—जैव—उर्वरक पर ₹ 120 / एकड़ सामान्य वर्ण/20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target of Integrated Micronutrient Management (INM) Bio-fertilizer for the year 2022-23 (Rs. 120 per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	4500	5.40	3600	4.32	900	1.08
2	C.Dadri	2100	2.52	1680	2.02	420	0.50
3	Gurgaon	2500	3.00	2000	2.40	500	0.60
4	Hisar	2500	3.00	2000	2.40	500	0.60
5	Jhajjar	2500	3.00	2000	2.40	500	0.60
6	Jind	2500	3.00	2000	2.40	500	0.60
7	M.Garh	4500	5.40	3600	4.32	900	1.08
8	Rewari	4500	5.40	3600	4.32	900	1.08
9	Mewat	2200	2.64	1760	2.11	440	0.53
10	Rohtak	2200	2.64	1760	2.11	440	0.53
Total		30000	36.00	24000	28.80	6000	7.20

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सहकारी समीति या अधिकृत विकेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भार्झियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत कीट प्रबंधन–खरपतवार नाशी पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भार्झि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन ((दिनांक 10-10-2022) कर सकते हैं।

एकीकृत कीट प्रबंधन–खरपतवार नाशी पर ₹ 200 / एकड़ सामान्य वर्ष / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target of Integrated Pest Management (IPM) Weedicide for the year 2022-23 (Rs. 200 per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	12500	25.00	10000	20.00	2500	5.00
2	Gurgaon	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
3	Hisar	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
4	Jhajjar	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
5	Jind	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
6	M.Garh	13000	26.00	10400	20.80	2600	5.20
7	Rewari	13000	26.00	10400	20.80	2600	5.20
8	Mewat	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
9	Rohtak	6000	12.00	4800	9.60	1200	2.40
10	C.Dadri	5500	11.00	4400	8.80	1100	2.20
Total		80000	160.0	64000	128.00	16000	32.00

विशेष दिशा निर्देश:—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में एकीकृत कीट प्रबंधन–पौध संरक्षण रसायन व जैव-घटक पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2022) कर सकते हैं।

एकीकृत कीट प्रबंधन– पौध संरक्षण रसायन व जैव-घटक पर ₹० 200/ एकड़ सामान्य वर्ष / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target of Integrated Pest Management (IPM) Plant Protection Chemical & Bio-agents for the year 2022-23 (Rs. 200 per acre.)							
Sr. No.	Name of Districts	Total		GEN		SC	
		Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)	Phy (in acre.)	Fin(Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	8850	17.70	7080	14.16	1770	3.54
2	Gurgaon	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
3	Hisar	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
4	Jhajjar	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
5	Jind	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
6	M.Garh	9500	19.00	7600	15.20	1900	3.80
7	Rewari	9500	19.00	7600	15.20	1900	3.80
8	Mewat	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
9	Rohtak	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
10	C.Dadri	6500	13.00	5200	10.40	1300	2.60
Total		73350	146.70	58680	117.36	14670	29.34

विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिलों) में हस्त चालित स्प्रे पम्प (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, महिला किसान, छोटे और सीमांत किसान के लिए) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10–10–2022) कर सकते हैं।

हस्त चालित स्प्रे पम्प ₹० 600 / युनिट (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, महिला किसान, छोटे और सीमांत किसान के लिए) किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target of Manual Sprayer for SC ,Women Farmers, Small & Marginal Farmers Farm Implements & Equipments (Assistance @ 50% the cost or Rs. 600/- unit, whichever is less)			
Sr. No.	Name of Districts	Phy. Targets (in no.)	Fin. Targ (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	120	0.72
2	Gurgaon	60	0.36
3	Hisar	60	0.36
4	Jhajjar	60	0.36
5	Jind	60	0.36
6	M.Garh	134	0.80
7	Rewari	130	0.78
8	Mewat	80	0.48
9	Rohtak	70	0.42
10	C.Dadri	60	0.36
Total		834	5.00

विशेष दिशा निर्देश:-

- एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –पोषक अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, नारनौल, रोहतक, चरखी दादरी, रेवाड़ी तथा मेवात (10 जिले) में हस्त चालित स्प्रे पम्प (अन्य किसानों के लिए) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10-10-2022) कर सकते हैं।

हस्त चालित व स्प्रे पम्प रु0 500 / युनिट सामान्य वर्ग के किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical & financial target of Manual Sprayer/Post harvest Management for Other farmers (Rs. 500/Unit or 40% of cost whichever is less)			
Sr. No.	Name of Districts	Phy. Targets (in no.)	Fin. Targ (Rs. in lakhs)
1	Bhiwani	190	0.95
2	Gurgaon	80	0.40
3	Hisar	70	0.35
4	Jhajjar	90	0.45
5	Jind	100	0.50
6	M.Garh	200	1.00
7	Rewari	190	0.95
8	Mewat	100	0.50
9	Rohtak	100	0.50
10	C.Dadri	80	0.40
Total		1200	6.00

विशेष दिशा निर्देश:—

- एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा